

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/ 1108

दिनांक - 31/03/23

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 उदाराम पुत्र लाखाराम 2 पुनीत कुमार 3 प्रदीप कुमार पिसरान पोकरराम 4 मगनाराम 5 राऊराम पिसरान लाखाराम 6 लक्ष्मी पत्नी पोकरराम 7 श्रवण कुमार 8 हेमन्त कुमार पिसरान पोकरराम जाति प्रजापत निवासी जटिया कुम्हारों की बस्ती मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

1 बालाराम पुत्र आईदानराम 2 रिणछाराम 3 विशनाराम 4 सरदाराराम पिसरान अमराराम 5 टीपूदेवी पत्नी अमराराम जाति जाट 6 वगताराम पुत्र अचलाराम 7 मथरीदेवी पत्नी मूलाराम 8 खेताराम 9 भंवराराम 10 गजाराम 11 खीयाराम 12 मानाराम 13 पदमाराम पिसरान मूलाराम 14 विरधाराम पुत्र अचलाराम जाति प्रजापत 15 मीयण पुत्र घमण्डाखां 16 जीवराज पुत्र हुसैन जाति मुसलमान 17 जीयाराम पुत्र फुसराम 18 पेमीदेवी पत्नी 19 पोलाराम 20 भूराराम 21 बाबूलाल पिसरान सुखाराम जाति मेघवाल निवासी कुम्हारों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 22 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 326/2022

दिनांक- 24/03/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 118/2 रकबा 5.7222 हैक्टर, खसरा संख्या 120/2 रकबा 6.4750 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31/03/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 1109-1112

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. उदाराम पुत्र लाखाराम वगैराह जाति प्रजापत निवासी जटिया कुम्हारों की बस्ती मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी बालाराम पुत्र आईदानराम वगैराह जाति जाट निवासी जटिया कुम्हारों की बस्ती मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर